

## **\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.01.2021 जनपद देवरिया\***

दिनांक 06.01.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

### **\*01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-\***

➔थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 01.अरविन्द चौहान पुत्र संतलाल सा0 जोकहा खास थाना रुद्रपुर, देवरिया। 02.रामनिवास यादव पुत्र जयराम यादव सा0 उपरोक्त गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20-20 लीटर कुल 40 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भलुअनी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 01.विजय प्रताप चौहान पुत्र नथुनी सा0 बीजापुर झंगटौर थाना खुखुन्दू, देवरिया 2.धर्मन्द्र चौहान पुत्र भृगुनाथ सा0 टेकुआ थाना भलुअनी, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10-10 लीटर कुल 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

### **\*02.थाना बनकटा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाईकिल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।\***

दिनांक 06.01.2021 को उ0नि0 संजय यादव मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए प्रतापपुर चेक पोस्ट पर मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाईकिल, मो0सा0 नं0 बीआर-29, के-6545 पर सवार एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके द्वारा अपना नाम पता 01.रोहित कुमार पुत्र शम्भू राजभर सा0 अखा थाना मैरवा, सिवान बिहार बताया गया। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाईकिल के संबन्ध में कागजात मांगे जाने पर नहीं दिखा पाये, जिसके संबन्ध में कड़ाई से पूछ-ताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.10.2020 को जनपद गोपालगंज (बिहार) से चोरी किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज (बिहार) में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस टीम द्वारा बरामद मोटरसाईकिल को कब्जे में लेते अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*03. 08 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही -\***

दिनांक-06.01.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष खामपार द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.नीतीश पाठक पुत्र कृपाशंकर सा0 बढपुरवा थाना भलुअनी, देवरिया 02.दीपक शाही पुत्र अभय कुमार सा0 व थाना खामपार, देवरिया 03.आदित्य तिवारी उर्फ सैन्डिल पुत्र स्व0 विशुन दयाल सा0 सवरेजी थाना खामपार, देवरिया 04.भरत भूषण पुत्र बलवन्त सिंह सा0 अजयपुरा थाना मदनपुर, देवरिया 05.जयशंकर प्रसाद पुत्र ब्वासमुनि सा0 बंजरिया थाना खुखुन्दू, देवरिया 06.अखिलेश मिश्रा पुत्र नागेन्द्र सा0 बीजापुर झंगटौर थाना खुखुन्दू, देवरिया 07.रामकुमार यादव पुत्र बिल्लर सा0 पिपरी उर्फ बन्दी थाना खुखुन्दू, देवरिया 08.मनोज यादव पुत्र कन्हैया सा0 करौदी थाना भलुअनी, देवरिया उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना खामपार में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

### **\*04.निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 06.01.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 16 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

**\*05.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 05.01.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शांति अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 125 वाहनों से 126000 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

